तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
9.7.2019	पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित हाजिर। बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। पत्रावलित में विवरण इस प्रकार है कि मौजा मुगाना प०ह० मुगाना तहसील कपासन की आरा० नं० 776, 777, 778, 779, 780, 781, 1819, 1820, 1821. कुल किता 09 कुल रकबा 1.17 हैक्टेयर प्रार्थीगण के नाम 1/2 हक हिस्से से दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजियात मौरूसी है जिसमें दादा के फौत होने के बाद प्रार्थीगण के पिता जिनका वास्तविक नाम भगीराम है किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने भूलवश राजस्व रिकॉर्ड में भगवान लाल पिता नाथू दर्ज कर दिया जो गलत है। सबूत में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, श्रमिक कार्ड, भामाशाह कार्ड, मूल निवास, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये। साथ ही ग्राम पंचायत मुगाना का प्रमाण पत्र में भी उक्त ~~सम्बन्ध~~ सम्बन्ध में पुष्टी की गई है। दिनांक 9.5.2019 को वकील प्रार्थी ने सहखातेदारान को पक्षकार बनाये जाने बाबत प्रा.प. प्रस्तुत किया जो भी स्वीकार किया गया उक्त सहखातेदारान ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में भी उक्त तथ्य को कि प्रार्थीगण के पिता का नाम भगीराम है व बोलता नाम भगवाना है व ~~स्वीकार~~ प्रार्थना पत्र के कथनों को स्वीकार किये जाने के	

उपखण्ड अधिकारी, कपासन (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

(नियम 26)

अज अदालत ---------------- मुकाम ----------------

मांगीलाल बनाम सरकार

किस्म मुकदमा ---------------- नं. 16 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दस्तावेजों/ हमने राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया जिसमें मृतक कालू के वारिसान इन्द्राज में भेरा। भगवान जी कालू के इन्तकाल खुला व रोस्टान [?] में भवाना के भगवान दर्ज हुआ। भेरा की वारिसान अप्रार्थी संख्या 2,3,4 है। ये भी राजस्व रेकार्ड में भगवान दर्ज होना गलत बताया है जबकि मृतक का समस्त दस्तावेज में बगदीराम नाम दर्ज है। उक्त नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जाने की दस्तावेज की/ हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। अत: यह निर्णय लिया जाता है कि मौजा मुंगाना प०ह० मुंगाना तहसील कपासन की आराजी 776, 777, 778, 779, 780, 781, 1819 1820, 1821 कुल किता 09 कुल रकबा 1.17 हैक्टर में दर्ज मांगीलाल, रतन लाल, लाली [?] देउबाई पिता भगवान के बजाय पिता बगदीराम व सुन्दर बाई पत्नी भगवान के बजाय पत्नी बगदीराम 1/12 दर्ज करने की स्वीकृति दी जाती है। शेष बदस्तूर रहे। तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया।	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, कपासन जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner